सरकार बनाम कोमल

न्यायालयः– न्यायिक मजिस्ट्रेट, पचपदरा, जिला–बालोतरा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : विनोद पंवार, R.J.S.

फौजदारी प्रकरण संख्या	221/2017
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या	63/2017
पुलिस थाना	**पचपदरा**
CNR No.	**RJBA130000792017**

राजस्थान सरकार

––– अभियोगी

कोमल पुत्र अशोक कुमार, निवासी नानक नगरी, गली नं० 01, अबोहर, पुलिस थाना सिटी अबोहर, जिला फाजिल्का, पंजाब।

––– अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 279, 304 ए भा०दं०सं० व धारा 184 एम.वी. एक्ट

उपस्थितिः–

1. सहायक अभियोजन अधिकारी अनुपस्थित।
2. अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राजेंद्र कुमार गहलोत।

Date of Offence	11.04.2017
Date of FIR	24.04.2017
Date of Chargesheet	03.07.2017
Date of Framing Charge	03.07.2017
Date of Commencement of Evidence	03.07.2017
Statement U/S 313 Cr.P.C. Recorded On	25.08.2026
The Date of Conclusion of the Arguments	31.08.2026
The Date on which the Judgement was reserved	31.08.2026
Whether the full Judgement of only the Operative Part was Pronounced	Full Judgement was Pronounced
The Date of Pronouncement	31.08.2026

सरकार बनाम कोमल

निर्णय

दिनांक :– 31.08.2026

संक्षिप्त तथ्य

01. दिनांक 03.07.2017 को थानाधिकारी पचपदरा की ओर से अभियुक्त कोमल के विरूद्ध धारा 279, 304ए भारतीय दंड संहिता (संक्षिप्तता के लिए भा०दं०सं०) व धारा 184 मोटरयान अधिनियम (संक्षिप्तता के लिए एम०वी० एक्ट) के तहत आरोप पत्र इस न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

02. अभियोजन पक्ष की कहानी के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि परिवादी सोहनलाल द्वारा दिनांक 24.04.2017 को रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 11.04.2017 को उसके जीजाजी जय सिंह पुत्र चिमन सिंह, निवासी देमों की ढाणी, तहसील पचपदरा वाले अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर खारडी से अपने गांव देमो की ढाणी आ रहे थे, दिन के समय करीब 12.15 बजे मेगा हाई–वे पाटौदी चैराहे पर वाहन मिनी ट्रक सं. पी.बी. 22 सी. 9747 के चालक ने तेज गति व लापरवाही से चलाते हुए अपनी सही साइड में चल रहे जय सिंह की मोटरसाइकिल के जोरदार टक्कर मारी जिससे दुर्घटना कारित की जिससे उनके सिर में, छाती में व दोनों हाथों व पैरों में गंभीर चोटें लगी व मौके पर अत्यधिक खून गिरने से बेहोश हो गए। उक्त दुर्घटना विरम सिंह पुत्र नरपत सिंह व दौलाराम पुत्र घेवरराम, निवासियान थोब ने देखी व उसके जीजाजी को दोनों व्यक्तियों ने नाहटा अस्पताल बालोतरा लेकर आए जहां उनकी स्थिति गंभीर होने के कारण उन्हें उसी समय जोधपुर रैफर किया गया, उसके जीजाजी की स्थिति गंभीर है व इलाज में व्यस्त होने के कारण देरीना रिपोर्ट पेश कर रहा है। वाहन सं. पी.बी. 22 सी. 9747 के चालक के विरूद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही करावे ..... आदि। उक्त लिखित रिपोर्ट पर पुलिस थाना, पचपदरा ने प्रथम सूचना रिपोर्ट 63/2017 अंतर्गत धारा 279, 337 भा०दं०सं० में दर्ज कर बाद अनुसंधान अभियुक्त कोमल के विरूद्ध जुर्म धारा 279, 304ए भा०दं०सं० व धारा 184 एम०वी० एक्ट का प्रमाणित पाया जाने पर चालान न्यायालय में पेश किया।

03. अभियुक्त को अपराध अंतर्गत धारा 279, 304ए भा०दं०सं० व धारा 184 एम०वी० एक्ट का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो उन्होंने सुन व समझ कर अपराध अस्वीकार किया एवं अन्वीक्षा चाही।

04. साक्ष्य अभियोजन में निम्नलिखित गवाह के बयान लेखबद्ध करवाए गए व दस्तावेजी साक्ष्य में निम्नलिखित दस्तावेजों को पेश कर प्रदर्शित करवाए गए –

सरकार बनाम कोमल

मौखिक साक्ष्य		**दस्तावेजी साक्ष्य**	
पी.डब्ल्यू. 1	खंगाराराम	**प्रदर्श पी 01**	मूल रिपोर्ट
पी.डब्ल्यू. 2	वीरम सिंह	**प्रदर्श पी 02**	चाक प्रथम सूचना रिपोर्ट
पी.डब्ल्यू. 3	दौलाराम	**प्रदर्श पी 03**	फर्द नक्शा मौका
पी.डब्ल्यू. 4	रघुवीर सिंह	**प्रदर्श पी 04**	फर्द जब्ती दुर्घटनाग्रस्त वाहन मोटरसाइकिल
पी.डब्ल्यू. 5	इब्राहिम खां	**प्रदर्श पी 05**	फर्द जब्ती दुर्घटनाग्रस्त वाहन मिनी ट्रक
पी.डब्ल्यू. 6	सोहन सिंह	**प्रदर्श पी 06**	चोट प्रतिवेदन जय सिंह
		प्रदर्श पी 07	फर्द सूरतहाल लाश जय सिंह
		प्रदर्श पी 08	फर्द पंचनामा लाश जय सिंह
		प्रदर्श पी 09	फर्द सुपुर्दगीनामा लाश जय सिंह
		प्रदर्श पी 10	पी०एम० नहीं करने बाबत प्रार्थना–पत्र
		प्रदर्श पी 11	एम.टी.ओ. रिपोर्ट मोटरसाइकिल
		प्रदर्श पी 12	एम.टी.ओ. रिपोर्ट मिनी ट्रक
		प्रदर्श पी 13	धारा 133 एम.वी. एक्ट नोटिस
		प्रदर्श पी 14	धारा 134 एम.वी. एक्ट नोटिस
		प्रदर्श पी 15	पुलिस बयान विरम सिंह
		प्रदर्श पी 16	पुलिस बयान दौलाराम

05. अभियोजन पक्ष के अनुकूल साक्ष्य के प्रकाश में अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किया गया, जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन परिसाक्ष्य को गलत बताते हुए स्वयं के निर्दोष होने व झूठा फंसाया जाने का कथन किया। बरीयत पेश करना नहीं चाहा।

सरकार बनाम कोमल

06. सुना गया। पत्रावली का आद्योपांत अध्ययन व ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के निस्तारण हेतु निम्न विचारणीय बिंदु न्यायालय के समक्ष यह है कि:–

1. **क्या अभियुक्त ने दिनांक 11.04.2014 को दिन के करीब 12.15 बजे मेगा हाई–वे पाटौदी चौराहा पर वाहन मिनी ट्रक नं० पी०बी० 22 सी० 9747 को तेज गति, लापरवाही व उपेक्षापूर्वक चलाकर मोटरसइकिल चालक जय सिंह के वाहन को टक्कर मारकर मानव जीवन संकटापन्न कर इस उपेक्षापूर्ण एवं लापरवाहीपूर्वक कार्य से प्रार्थी के जीजाजी जय सिंह की मृत्यु कारित हुई, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है ?**
2. **यदि हां तो अभियुक्त किस दंड के भागी हैं ?**

बहस

07. बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने यह तर्क दिया है कि अभियुक्त को झूंठा फंसाया गया है। अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध के संबंध में पत्रावली पर कोई ठोस व विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अभियोजन पक्ष अपना मामला अभियुक्त के विरूद्ध संदेह से परे साबित नहीं कर पाया है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किया जावे।

विवेचन

08. पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर आया कि अभियुक्त कोमल के विरुद्ध मिनी ट्रक रजि० नं० पी०बी० 22 सी० 9747 को लोकमार्ग पर तेज गति व उतावलेपन से चलाकर परिवादी सोहन सिंह के जीजाजी जय सिंह द्वारा चलाए जा रहे मोटरसइकिल के टक्कर मारकर मृत्यु कारित करने का आरोप है। इसके संबंध में पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का विश्लेषण किए जाने से यह जाहिर आता है कि परिवादी द्वारा पुलिस थाना पचपदरा में इत्तला रिपोर्ट प्रदर्श पी० 01 दी थी जिस पर उक्त इत्तला रिपोर्ट पर पुलिस थाना पचपदरा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 63/2017 दर्ज की जिसके बाद अनुसंधान अंतिम रिपोर्ट अब अभियुक्त कोमल के विरुद्ध धारा 279, 304ए भा०दं०सं० व धारा 184 एम०वी० एक्ट का अपराध प्रमाणित मानते हुए न्यायालय के समक्ष पेश की।

09. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाहान पी०डब्ल्यू० 06 सोहन सिंह स्वयं परिवादी को परीक्षित करवाया जिसने अपने बयानों में यह कथन किया कि उसने दुर्घटना होते हुए नहीं देखी थी। गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि घटनास्थल का मौका पुलिस ने घटना होने के 15 दिन बाद देखा था, जो प्रदर्श पी० 03 है

सरकार बनाम कोमल

जिसे पुलिस ने उस पढकर नहीं सुनाया था। इसके अतिरिक्त अभियोजन पक्ष की ओर से अन्य महत्वपूर्ण चक्षुदर्शी गवाहान के रुप में वीरम सिंह व दौलाराम को क्रमशः पी०डब्ल्यू० 02 व 03 के रुप में परीक्षित करवाया। उक्त दोनों गवाह सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा पक्षद्रोही घोषित किए गए। गवाहान द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया गया है कि उन्होंने जय सिंह के एक्सीडेंट की घटना नहीं देखी थी, वे घटना के समय मौके पर मौजूद नहीं थे तथा उन्हें नहीं पता जय सिंह का एक्सीडेंट किस वाहन से तथा किस वाहन चालक द्वारा कारित हआ था। सहायक अभियोजन अधिकारी जिरह में गवाह इस सुझाव को स्वीकार करते हैं कि उनके पुलिस बयान क्रमशः प्रदर्श पी० 15 व 16 हुए जिसका सुसंगत भाग पुलिस को दिए जाने से गवाहान द्वारा इंकार किया गया। उक्त दोनों गवाहान से अधिवक्ता मुलजिम द्वारा किसी प्रकार की कोई जिरह नहीं की गई। इस तरह उक्त दोनों चक्षुदर्शी गवाहान के बयानों से स्पष्ट अभिलक्षित होता है कि उन्होंने वक्त घटना वाहन चलाते हुए कोमल को नहीं देखा था क्योंकि वक्त घटना उक्त दोनों गवाहान वहां उपस्थित नहीं थे। उक्त दोनों गवाहान में से किसी ने वक्त घटना अपनी आखों से देखने का उल्लेख नहीं किया है जिससे स्पष्ट दर्शित होता है कि अभियुक्त कोमल की पहचान ही सुनिश्चित नहीं हो सकी है। वहीं औपचारिक गवाहान के रुप में इब्राहिम पी०डब्ल्यू० 05 नक्शा मौका प्रदर्श पी० 03 व फर्द जब्ती वाहन मोटरसाइकिल प्रदर्श पी० 04 का गवाह है, गवाह फर्दों पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार करते हैं तथा जिरह में लिखा–पढी उसके सामने नहीं करने तथा थाने में बुलाकर उक्त फर्दात पर हस्ताक्षर करने के कथन किए हैं, गवाह दुर्घटना होते हुए नहीं देखे जाने का भी कथन अपनी जिरह में करता है। गवाह रघुवीर सिंह एम०टी०ओ० पी०डब्ल्यू० 04 ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उसने दोनों वाहनों का मैकेनिकल मुआयना किया जो क्रमशः प्रदर्श पी० 11 व 12 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है। जिरह में गवाह इस कथन को स्वीकार करता है कि ट्रक पर किसी प्रकार की रगड़ चोट, मानव चमडी, खून, बाल उसे नजर नहीं आए तथा गवाह यह नहीं बता सकता कि किस वाहन के चालक की गलती से उक्त दुर्घटना कारित हुई थी। अनुसंधान अधिकारी खंगाराराम पी०डब्ल्यू० 01 ने अभियुक्त कोमल के विरुद्ध ही अपराध प्रमाणित माना था। प्रकरण में धारा 133 एम.वी.एक्ट. के नोटिस की ताईद बाबत् भी वाहन स्वामी को अभियोजन साक्ष्य के रूप में परीक्षित नहीं करवाया गया एवं जिससे वक्त घटना अभियुक्त कोमल द्वारा ही मिनी ट्रक रजि० नं० पी०बी० 22 सी० 9747 को चलाया जाकर दुर्घटना कारित की हो इस बात की भी ताईद नहीं हो पायी है। महत्वपूर्ण गवाहान ने न तो वाहन और न ही अभियुक्त की पहचान की एवं धारा 133 व 134 एम.वी.एक्ट. के नोटिस की भी ताईद नहीं हो पाई है। इस तरह अभियोजन पक्ष अभियुक्त चालक कोमल ही

सरकार बनाम कोमल

हो की उपस्थिति ही संदेहास्पद हो जाती है। इस तरह अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत कहानी में उत्पन्न हुए संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

10. उपरोक्त विवेचनानुसार अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त कोमल के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 279, 304ए भा०दं०सं० व धारा 184 एम०वी० एक्ट में संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त कोमल को संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

11. अतः अभियुक्त कोमल पुत्र अशोक कुमार, निवासी नानक नगरी, गली नं० 01, अबोहर, पुलिस थाना सिटी अबोहर, जिला फाजिल्का, पंजाब को अपराध अन्तर्गत धारा 279, 304ए भा०दं०सं० व धारा 184 एम०वी० एक्ट में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त के न्यायालय में नियमित हाजिरी बाबत् पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं। अभियुक्त धारा 437'ए' सी.आर.पी.सी. के तहत अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थिति हेतु 06 माह की अवधि तक प्रभावी रुपये 10,000–10,000/– के जमानत व बंध पत्र प्रस्तुत करे।

(विनोद पंवार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, पचपदरा

12. निर्णय आज दिनांक 31.08.2026 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विनोद पंवार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, पचपदरा

सरकार बनाम कोमल

नोटः— उक्त निर्णय/आदेश केवल जानकारी के लिए है। किसी भी संदर्भ के लिए न्यायालय से प्रमाणित प्रति प्राप्त करें।